



2026:AHC:53082

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - ए संख्या - 3145 वर्ष 2026**

विनोद कुमार वरुण .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य .....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सी.एस.सी., राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, ऋषभ शुक्ला

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता :

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय विकास बुधवार**

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का दावा करता है, हालांकि, उसे 16.01.2026 को कदाचार करने से संबंधित आरोपों के कारण निलंबन के तहत रखा गया है, हालांकि, आज निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं जिसके अनुसार दिनांक 22.02.2026 को चार आरोपों वाला आरोप पत्र जारी किया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जांच को तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया जाए और रिट याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाए।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, प्रतिवादीगण को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करने और कानून के अनुसार निर्वाह भत्ते का भुगतान करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



5. निर्देशों की एक प्रति रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाए।
6. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(विकास बुधवार, जे.)

मार्च 16, 2026

राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:-** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।